पांच लाख करोड़ के उत्पादकता लक्ष्य के लिए 8000 नई इकाइयां होंगी पंजीकृत

नई औद्योगिक इकाइयों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगी बढ़त, मौसमी उद्योगों को भी पंजीकरण के दायरे में लाने की तैयारी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विनिर्माण क्षेत्र से 5 लाख करोड़ रुपये का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसको पूरा करने के लिए सरकार ने कारखाना अधिनियम के तहत 8000 नई औद्योगिक इकाइयों को पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह जानकारी राज्य की औद्योगिक नीति और इन्वेस्ट यूपी की ताजा रिपोर्ट में दी गई है।

औद्योगिक विकास विभाग को श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक जितनी ज्यादा नई इकाइयों का पंजीकरण होगा, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा, और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसलिए बड़े पैमाने पर नए कारखानों के पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है।

नवंबर तक 2476 इकाइयों का पंजीकरण

प्रदेश में 20 नवंबर 2025 तक 2476 नई औद्योगिक इकाइयां कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत की जा चुकी हैं। इनमें 1426 इकाइयां औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रों में हैं। जबकि 1050 इकाइयां गैर-अधिसूचित क्षेत्रों खासकर कानपुर के औद्योगिक निरीक्षणालय क्षेत्र में पंजीकृत हुई हैं। रिपोर्ट में इन 2476 इकाइयों को वार्षिक लक्ष्य का 27% बताया गया है, जबकि 8000 के लक्ष्य के अनुसार यह आंकड़ा करीब 31% बैठता है। इससे रिपोर्ट में प्रतिशत को लेकर कुछ असंगति भी सामने आई है।

स्पष्ट कार्ययोजना हो रही तैयार

सरकार सिर्फ पंजीकरण बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि इसके लिए स्पष्ट कार्ययोजना भी तैयार कर रही है। इसके तहत लगभग 6000 पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण में सहायता दी जाएगी। मौसमी उद्योग जैसे चावल मिल, प्लाईवुड इकाइयाँ, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज को भी पंजीकरण के दायरे में लाने की तैयारी है। उत्पादन प्रारंभ प्रमाण-पत्र जारी करने की नई व्यवस्था का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी अंतिम मंजूरी विभागों से सुझाव मिलने के बाद दी जाएगी।